अनुदान संख्या 52 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 52–CABINET

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*					
मूल	*Original*	*12,00*		*19,00*	*24,59*	*+5,59*
पूरक	*Supplementary*	*7,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	256,18,00		304,33,00	277,46,13	–26,86,87
पूरक	Supplementary	48,15,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,92,42
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	2,10,00		6,48,00	5,10,34	–1,37,66
पूरक	Supplementary	4,38,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, हालांकि फरवरी, 2004 में *7.00 लाख* रु. का पूरक विनियोग प्राप्त किया गया था, परन्तु व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *5.59 लाख* रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *5,58,839* रु.)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of *Rs.7.00 lakhs* was obtained in February, 2004, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *Rs.5.59 lakhs* (Actual excess was *Rs.5,58,839.)*. **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2013" मंत्रिपरिषद	Major Head "2013" Council of Ministers		. .	*7.58*	*+7.58*

(I) "प्रधानमंत्री कार्यालय - स्थापना" के अंतर्गत *7.58 लाख* रु. का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) न्यायालय की डिगरी की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Prime Minister's Office - Establishment" - excess of *Rs.7.58 lakhs* (against *nil appropriation*) was due to making payment of a Court decree.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (2686.87 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 4815.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 56 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2686.87 lakhs) constituted 56 percent of the supplementary grant of Rs.4815.00 lakhs obtained in February, 2004 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2013" मंत्रिपरिषद	Major Head "2013" Council of Ministers				
मू.	O.	8667.00			
पू.	S.	3585.00	11324.32	10870.01	–454.31
पु.	R.	–927.68			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	16822.00			
पू.	S.	1229.00	17886.26	16746.12	–1140.14
पु.	R.	–164.74			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2013" - "मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन - राज्य मंत्री"- 80.00 लाख रु. के मूल प्रावधान

(A) Major Head "2013" - "Salaries of Ministers and Deputy Ministers - State Ministers" - the

को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 90.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, मंत्रिपरिषद के आकार में अनिश्चितता के कारण 13.83 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष सुरक्षा समूह - स्थापना"- 7392.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 339.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7731.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1259.82 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रत्याशा से कम संख्या में दौरे किए जाने, बिल प्राप्त न होने, मशीनरी तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति के कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और विशेष सुरक्षा समूह में रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2013" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दिखाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "आतिथ्य और अन्य भत्ते - राज्य मंत्री"- 144.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 162.00 लाख रु. कर दिया गया था तथापि, जो मंत्रिपरिषद के आकार में अनिश्चितता के कारण 16.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "दौरा व्यय - मंत्रिमंडल के सदस्य"- 4500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3459.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7959.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, मंत्रियों द्वारा घरेलू यात्राओं के लिए सामान्य हवाई यात्रा सुविधा की बजाय भारतीय वायु सेना के विमान/हेलीकाप्टर, जिसका व्यय रक्षा बजट के नामे डाला गया था, की सुविधाओं का प्रयोग किए जाने के कारण 988.72 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) मुख्य शीर्ष "2013" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मंत्रिमंडल सचिवालय - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय"- 193.26 लाख रु. की बचत (2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 667.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को आबंटित अतिरिक्त

original provision of Rs.80.00 lakhs was augmented to Rs.90.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.13.83 lakhs (including supplementary grant) due to uncertainty in the size of Council of Ministers.

(B) Major Head "2055" - "Special Protection Group - Establishment" - the original provision of Rs.7392.00 lakhs was augmented to Rs.7731.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.339.00 lakhs. However, there was a saving of Rs. 1259.82 lakhs (including supplementary grant) due to less number of tours undertaken, non-receipt of bills, non-finalisation of some proposals for procurement of machinery and equipment and non-filling up of vacant posts in Special Protection Group.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2013" - remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(A) "Sumptuary and Other Allowances - State Ministers" - the original provision of Rs.144.00 lakhs was augmented to Rs.162.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.16.18 lakhs - due to uncertainty in the size of Council of Ministers.

(B) "Tour Expenses - Cabinet Ministers"- the original provision of Rs.4500.00 lakhs was augmented to Rs.7959.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3459.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.988.72 lakhs - due to using the facilities of Indian Air Force aeroplane/Helicopter by the Ministers for domestic travels instead of normal air travel facility, the expenditure of which was debitable to Defence Budget.

(III) Under Major Head "2013" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Cabinet Secretariat - National Security Council Secretariat"- saving of Rs.193.26 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.667.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, economy in expenditure for renovation of additional accommodation allotted

आवास के नवीकरण पर किए जाने वाले व्यय में किफायत बरतने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या को कम किए जाने के कारण हुई।

to National Security Council Secretariat and reduction in number of members in National Security Advisory Council.

(खा) ''प्रधानमंत्री कार्यालय - स्थापना''- 139.48 लाख रु. की बचत (1279.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्य को पूरा किए जाने में विलंब होने तथा समयोपरि भत्ते के लिए कम दावे किए जाने के कारण हुई।

(B) "Prime Minister's Office - Establishment"- saving of Rs.139.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1279.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in completion of work and less claims of overtime allowance.

(गा) ''दौरा व्यय - राज्य मंत्री''- 111.05 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य मंत्रियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(C) "Tour Expenses - State Ministers"- saving of Rs.111.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 800.00 lakhs) was due to less tours under taken by the State Ministers.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (137.66 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 438.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.137.66 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grant of Rs.438.00 lakhs obtained in February, 2004 and 21 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	210.00			
पू.	S.	438.00	538.00	510.34	–27.66
पु.	R.	–110.00			

(I) ''विशेष सुरक्षा समूह - कार्यालय भवन'' के अंतर्गत 136.58 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय विद्यालय और द्वितीय फायरिंग रेंज तथा तीन पुन: आवेशित कुओं के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Special Protection Group - Office Buildings" - saving of Rs.136.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of Kendriya Vidyalaya, second firing range and three re-charging wells.